तारीख हुक्म	[illegible] बनाम [illegible] आदि हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज [illegible] सं. 226/2014	नम्बर अहलकार हुक्म में
8-11-2019	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. सकारा में बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 26-11-2019 को पेश हो।	
26.11.2019	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। प्रकरण में वकील वादीगण की बहस एकपक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादीगण ने प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि– भूमि खसरा नम्बर 882 रकबा [illegible] बीघा 12 बिस्वा जिसके वर्तमान सैटलमेन्ट में नये खसरा नम्बर 1037, 1038, 1039, 1041 कुल किता 4 कुल रकबा 4.24 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम रींगस तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रथम सैटलमेन्ट से पहले से ही छोटू पुत्र रूड़ा 1/4 हिस्सा, महाबक्स पुत्र पेमा 1/4 हिस्सा, तुलसा पुत्र मोती 1/4 हिस्सा व प्रभात पुत्र मोती 1/4 हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। जिनका उक्त भूमियों पर हाल सैटलमेन्ट तक उक्त हिस्सानुसार अनवरत रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमियों की गिरदावरी भी इनके नाम से अंकित हुई है। तुलसा व प्रभात दोनों सगे भाई होने से पारिवारिक विभाजन में उक्त भूमि तुलसा के नाम दर्ज है। इस भूमि का तुलसा का सम्पूर्ण हिस्सा प्रभात के हिस्से में आने से पारिवारिक विभाजन होने पर उक्त भूमि का तुलसा का सम्पूर्ण प्रभात के नाम से अंकित हो गया एंव छोटू का हिस्सा छोटू के देहान्त के बाद उसके एकमात्र वारिस कजोड़ के नाम दर्ज हुआ एंव तत्पश्चात कजोड़ ने वर्ष 2008 में अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादीगण नम्बर 10 ता 14 को बैचान कर दिया तब से [illegible] के हिस्से पर प्रतिवादीगण नम्बर 10 ता 14 काबिज काश्त है एंव महाबक्स व उसके पुत्र नाथूराम का हिस्सा 1/4 अपनी भूमि के अदला–बदली से वादीगण के पिता प्रभात के हिस्से में आ जाने तथा प्रभात का देहान्त वर्ष 2011 में हो जाने से वादीगण प्रभात के वारिस हो जाने से उक्त भूमि के 3/4 हिस्से पर वादीगण व 1/4 हिस्से पर प्रतिवादी गण नम्बर 10 ता 14 काबिज काश्त है। उक्त भूमियों पर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 9 का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहने तथा इन व्यक्तियों को ग्राम रींगस में कभी नहीं देखा गया तथा ना ही इनके बारे में सुना गया अर्थात	

Scanned by CamScanner

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

नानूराम वगै0 बनाम रामूराम वगै0
दावा बाबत उद्घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं. 228/2014

प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 9 का नाम राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से दर्ज हुआ है। जिसकी पुष्टि सम्वत् 2011 से 2033 तक के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी से स्वतः प्रमाणित होती हैइस प्रकार वादीगण प्रतिवादी नम्बर 1 ता 9 के नाम दर्ज 1/4 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार है तथा इस आशय की उद्घोषणा करवाने के अधिकारी है। उक्त भूमियों पर प्रतिवादीगण का कभी भी किसी तरह का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। इसलिए वादीगण अपने पिता के जीवनकाल अर्सा करीब 70 साल से मौके पर अकेले काबिज काश्त होने से एडवर्स पजेशन के आधार पर भी काबिज खातेदार काश्तकार हो चुके है। हाल ही 6 जुलाई 2014 में भारत सरकार द्वारा जयपुर से रींगस हेतु बनने वाली ब्रॉडगेज रेलवे लाईन हेतु भूमि अवाप्ति हेतु अधिसूचना जारी होने पर कतिपय लोगों द्वारा अपने आपको काल्पनिक रूप से प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 9 का वारिस होना बताकर विवादित भूमि के 1/4 हिस्सा में अधिकार क्लेम करने व प्रतिवादीगण नम्बर 15 ता 17 की साजशी कार्यवाही से इस भूमि के 1/4 हिस्सा की खातेदारी अपने नाम करवाने की व वादीगण को उनके कदीमी कब्जे व अधिकार की भूमि से वंचित करने की धमकी देने से पैदा होकर दावा करना लाजिम आया। वकील वादीगण ने उक्तानुसार वादीगण को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु निवेदन वकील वादीगण ने वादपत्र में किया है।

प्रकरण में प्रतिवादी नम्बर 1 ता 9 की तामील जरिये समाचार पत्र के माध्यम से हो जाने पर व प्रतिवादी नम्बर 10 ता 17 की तामील हो जाने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चूकी है। साक्ष्य वादी में वादी नानूराम व साक्ष्य गवाह में छीतरमल व हनुमान के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुए। जो शामिल पत्रावली किये हुये है।

हमने वकील वादीगण की बहस पर सगौर मनन किया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र व वादपत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा जमाबन्दी सम्वत् 2018 से 2021, 2062 से 2065, 2066 से 2069 –दो, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, नक्शा ट्रेस, खसरा गिरदावरीयॉ सम्वत् 2011 से 2014, 2031 से 2034 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त जमाबन्दियों में जमाबन्दी सम्वत् 2018 से 2021 में मांगू पुत्र लादु कौम

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नानूराम वगै0 बनाम रामूराम वगै0
दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं. 228/2014

मेघवंशी का नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एंव इसके पश्चात् की जमाबन्दियों में मांगू के वारिसान् का नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रकरण में प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 9 के नाम के व्यक्तियों को ग्राम शींगस में कभी नहीं देखने तथ शींगस के निवासी होने बाबत कभी नहीं सुनी के आधार पर एवं वादीगण अपने पिता के जीवनकाल अर्थात् अर्सा करीब 70 साल से मौके पर अकेले काबिज काश्त होने से एडवर्स पजेशन के आधार पर काबिज खातेदार काश्तकार हो जाने पर वादीगण अपने नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने हेतु वादपत्र पेश किया है। वादीगण केवल मात्र प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपने नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराना चाहता है। जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर व राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा कभी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी को कानूनन खातेदारी अधिकार नहीं दिये जाने बाबत विभिन्न न्यायिक निर्णयों में निर्णय पारित किये गये है। प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् की खातेदारी प्रथम सैटलमेन्ट से लेकर वर्तमान तक के राजस्व रिकार्ड में मेघवंशी जाति के नाम होने एंव उक्त जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में आने से एंव अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की कृषि भूमियों के सवर्ण जाति के व्यक्तियों के नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के उल्लघंन की श्रेणी में आता है। इस प्रकार उक्त वादपत्र में अंकित तथ्यों को सिद्ध करने में वकील वादीगण पूर्णतया असफल रहा है। वादपत्र में अंकित तथ्य वादीगण के हक में सिद्ध नहीं होने से वादपत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतित नहीं होता है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
नानूराम वगै0 बनाम रामूराम वगै0 दावा बाबत उद्घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नं. 228/2014 यह निर्णय आज दिनांक 26.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर)	

Scanned by CamScanner